न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 81/2018

आरसीएमएस 2018/00186

1. मोहर सिंह पुत्र प्रभातीराम आयु 56 वर्ष, जाति यादव निवासी ढाणी चक 8 एचएमएच ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. बलवीर सिंह पि0 मु0 गोविन्द कंवर आयु 48 वर्ष जाति राजपूत साकिन पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. दलीप सिंह पुत्र श्री नारायण सिह आयु 58 वर्ष जाति राजपूत निवासी हनुमानगढ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ।

——अपीलांट

बनाम

1. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. ग्राम पंचायत, अमरपुरा थेड़ी, पंचायत समिति, हनुमानगढ, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. राजविन्द्र सिह पुत्र चरण सिंह } जाति कम्बोज सिख साकिन चक 6
4. समिन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिह } एचएमएच तहसील व जिला हनुमानगढ।

—— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध आदेश दिनांक 12.05.2017
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ
प्र0 सं0 63/2017 अनवान सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुराथेड़ी व ग्राम वासी चक 6–8 एचएमएच बाबत रास्ता स्वीकृत करने

उपस्थितिः–
श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अभिभाषक रेस्पो0
श्री विजय कोशिक अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3, 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 30.6.22

1. अपील से संबंधित सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार हनुमानगढ ने कैम्प अमरपुरा थेड़ी में एक जांच प्रतिवेदन पेश किया, जिसमें कहा कि चक 6 एचएमएच एवं चक नं. 8 एचएमएच में प्रश्नगत रास्ता मौके पर चालू है। यह रास्ता भद्रकाली मंदिर मेले में प्रयोग में आता है। विचारण न्यायालय ने रास्ता 40 वर्षो से चालू होने व लोक अदालत की भावना व आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त रास्ते को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रश्नगत रास्ता कभी भी चालू नहीं रहा बल्कि इस स्थान पर नाली का डोला (तटबंध) है। अपीलाण्ट व अन्य काश्तकारों की भूमि के लिए पत्थर लाईन 155, 157, 159 पर उत्तर से दक्षिण रास्ता सदैव चालू है तथा उसी रास्ता से सभी काश्तकार आवागमन करते हैं। राज्य सरकार आदेश के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायलाय को ऐसी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार नही है जिसमें रास्ता चालू ना हो तथा नाली के डोला को रास्ता में परिवर्तन करने का अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट को जमाबंदी की नकल लेने पर अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ। ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट्स ने अपनी संयुक्त बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रास्ता 1970 से कायम है जहां से रेस्पोडेण्ट सहित चक 34, 36 एचजीसी व चक 5, 6, 8 एचएमएच एवं फतेहपुर ढालिया, पन्नीवाली, पीरकामडिया के समस्त काश्तकार भद्रकाली वाले पुल से होकर हनुमानगढ अनाज मण्डी में अनाज आदि लाने ले जाने एवं आववागमन हेतु अर्सा दराज से उपयोग कर रहे हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने चक 6 एचएमएच के प. नं. 159/260 (9) किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में .019 है0 प0 नं0 159/261 (10)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में .019 है0 व प0 नं0 158/260 (8) कि0 नं0 21 ता 25 प्रत्येक में .019 है0 व प0 नं0 158/261 (11) किला नं. 1 ता 5 प्रत्येक में .019 तथा चक नं. 8 एचएमएच के प. नं. 157/260 (10) कि0 नं0 21 ता 25 प्रत्येक में .019 है0 व प0 नं0 157/261 (15) कि0 नं0 1 ता 5 प्रत्येक में .019 है0 प0 नं0 156/260 (11) किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में .019 व प0 नं0 156/261 (14) कि0 नं0 1 ता 5 प्रत्येक में .019 है0 रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट सं0 1 की चक 8 एचएमएच के खाता संख्या 63/64 व अपीलाण्ट संख्या 2 की चक 6 एचएमएच के खाता संख्या 76/84 व अपीलाण्ट संख्या 3 की चक 8 एचएमएचके खाता संख्या 75/76 में भूमि स्थित। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो केाइ नोटिस दिया गया एव ना सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपीलांट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने तक प्रश्नगत डोले (तटबंद) की यथास्थिति रखते हुए मौके पर चल रहे रास्ते को बंद नहीं किया जावे तथा आमजन के आवागमन में बाधा कारित नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.6.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/6/22

(करतारसिंह पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी

हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:14 IST
Reason: SelfAttested